NOTICE OF VACANCY

Applications are invited from **Meritorious sports persons** who possess the requisite qualifications, for filling up the following vacant posts in the Department of Environment and Forests, Andaman and Nicobar Administration.

1	Name of Post	Forest Guard
2	Number of vacancy	3 (Three)
3	Scale of pay	Pay Band PB-I Rs.5200-20200 + Grade Pay Rs. 2000/-
4	Age Limit	18-33 years for male 18-38 years for female (Relaxable for Govt. servants upto 5 yeas in accordance with the instructions or orders issued by the Central Govt. from time to time) In addition in respect of Meritorious sports persons further 5 years relaxation over and above normal relaxation is admissible. Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from the candidates.
5	Educational and other qualification	**Essential** 1. Secondary School Examination (Xth Std) passed from a recognized Board/ University. 2. Physical Standard (minimum) (see Physical Standard table below) 1. Candidates must pass written Recruitment Tests consisting the subjects (a) English & General Knowledge (b) Mathematics & Science. 2. Candidates must pass Physical Endurance Test of 25 Kms. walk for males and 14 Kms. for females to be completed in 4 hours. 3. Selected candidates on appointment will have to successfully complete Forestry Training Course when drafted for, failing which they will not be eligible to draw increment in the time scale.
6	The criteria for as Meritorious Sportspersons	1. Sportspersons who have represented a State or the country in the National or International competition in any of the games/sports mentioned in the list at Sl. 7. 2. Sportspersons who have represented their University in the Inter University tournaments conducted by the Inter-University Sports Board in any of the sports /games shown in the list at Sl.No.7 3. Sportspersons who has represented the State Schools Teams in the National Sports /Games for schools conducted by the All India School Games Federation in any of the games /sports shown in the list at Sl.7. 4. Sportspersons who have been awarded National Awards in Physical Efficiency under the national Physical Efficiency Drive

Physical Standard (minimum):

	Height	Chest Normal	Chest Expanded
(a) General Candidates			
For Male	163 cm	84 cm	89 cm
For Female	150cm	79cm	84cm
(b) ST Candidates			
For Male	152 cm	84 cm	89 cm
For Female	145cm	79cm	84cm

7	List of games/ Sports qualify meritorious sports persons for consideration for appointment to Group C posts under Central Govt.	1. Archery 2. Athletics(including Track and field events) 3. Atya-patya 4. Badminton 5. Ball-Badminton 6. Basketball 7. Billiards and snooker 8. Boxing 9. Bridge 10. Carrom 11. Chess 12. Cricket 13. Cycling 14. Equestrian sports 15. Football 16. Golf 17. Gymnastics (incudling Body-building) 18. Handball 19. Hockey	20. Judo 21. Kabaddi 22. Karate 23. Kayaking and canoeing 24. Kho-kho 25. Polo 26. Power Lifting 27. Rifle shooting 28. Rolllerskating 29. Rowing 30. Soft Ball 31. Squash 32. Swimming 33. Table Tannis 34. Taekwondo 35. Tennikoit 36. Tennis 37. Volleyball 38. Weightlifting 39. Wrestling 40. Yatching
8	Duties and responsibilities	Shall function as an attached executive under a Deputy Ranger/ Forester/ Head Forest Guard. Responsible for the works related to the protection, conservation and management of forests and wildlife in the area under his jurisdiction. Enforcement of the provisions of the Indian (Forest) Act, 1927, the Wildlife (Protection) Act 1972 and the rules made there-under. He shall carryout all the duties and functions to be done by a "forest Officer", when appointed so, under the provisions of the aforementioned Act and Rules. He is also required to do any other works as and when assigned to him by his superior officers.	

Application in the enclosed format duly filled in along with attested copies of certificate/ testimonials of educational and other qualification, date of birth, ST/OBC certificate and recent passport size photographs duly attested by a Gazetted Officer with one spare photograph should reach the office of the Principal Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands, Vansadan, Haddo on or before 28.06.2013.

24/5/2013

(S.H.K.Murti)
Conservator of Forests
(Headquarters)
(F.20 (E)/105)
29/A

रिक्तता की सूचना

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग में अधोलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए मेधावी खिलाडियों, जिनके पास अपेक्षित योग्यताएँ है, से आवेदन आमंत्रित करते हैं।

1	पदनाम	वन रक्षक
2	रिक्त पदों की संख्या	3 (तीन)
3	वेतन बैंड	वेतन बैंड पी.बी.–1 रू.5200–20200 + ग्रेड वेतन रू.2000/–
4	आयु सीमा	18–33 वर्ष पुरूषों के लिए 18–38 वर्ष महिलाओं के लिए (केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या निर्देशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को 5 वर्ष तक का रियायत मिलेगा) इसके साथ–साथ मेधावी खिलाडियों को उपरोक्त स्वीकार्य सामान्य आयु सीमा में रियायत के अलावा 5 वर्ष तक का अतिरिक्त रियायत भी मिलेगा। नोट–रोजगार कार्यालय से उम्मीदवारों की सूची/उम्मीदवारों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि ही आयु सीमा को निर्धारित करने की निर्णायक तिथि होगी।
5	शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	**अनिवार्य** 1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (दसवीं कक्षा) उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. शारीरिक मानकता (न्यूनतम)

	ऊँचाई	सीना सामान्य	सीना फुलाने पर
(क) सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए			
पुरूष	163 से.मी.	84 से.मी.	89 से. मी.
महिला	150 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.
(ख) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए			
पुरूष	152 से.मी.	84 से.मी.	89 से. मी.
महिला	145 से.मी.	79 से.मी.	84 से.मी.

1. उम्मीदवारों को लिखित भर्ती परीक्षा जिसमें विषयों (क)अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान (ख) गणित एवं विज्ञान, शामिल होगा, को उत्तीर्ण करना होगा।
2. उम्मीदवारों को शारीरिक सहनशीलता परीक्षा जिसमें पुरूषों को 25 किलोमीटर एवं महिलाओं को 14 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे की अवधि में पैदल तय करना होगा।
3. चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के पश्चात वानिकी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को सफलता पूर्वक पूरा करना पड़ेगा, जब कभी भी इसके लिए उनको नामित किया जायेगा, अन्यथा वे सावधिक वेतनमान पर वेतन वृद्धि के आहरण के लिए पात्र नही होगें।

6	मेधावी खिलाडी होने के लिए मानदंड	1. ऐसे खिलाडी जिन्होने अधोलिखित सूची में दर्शाए गए किसी भी खेलकूद के राष्ट्रीय या अंतराष्ट्रीय स्पर्धा में राज्य या देश का प्रतिनिधित्व किया हो । 2. ऐसे खिलाडी जिन्होने अधोलिखित सूची में दर्शाए गए किसी भी खेलकूद में अंतर–विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के द्वारा आयोजित अंतर–विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में अपने विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया हो । 3. ऐसे खिलाडी जिन्होंने अधोलिखित सूची में दर्शाए गए किसी भी खेलकूद में से अखिल भारतीय विद्यालय खेलकूद परिसंघ के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य विद्यालय दल का प्रतिनिधित्व किया हो ।

Place (Signature of the applicant)
Date (application not signed by the candidate will be rejected)

Note I: Candidates are advised to post the application well before the closing date so that it reaches in the office of the

		4. ऐसे खिलाडी जिसे राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान के अंतर्गत शारीरिक दक्षता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया हो ।
7	केन्द्र सरकार के अधीन वर्ग 'ग' पदों पर नियुक्ति के लिए विचार करने योग्य मेधावी खिलाडी के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए खेलकूद की सूची	1. धनुर्विद्या 2. एथलेटिक्स (ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धाओं सहित) 3. अत्या–पत्या 4. बैडमिंटन 5. बॉल– बैडमिंटन 6. बासकेट बॉल 7. बिलयार्डस एवं स्नूकर 8. बॉक्सिंग 9. ब्रिडज 10. कैरम 11. शतरंज 12. क्रिकेट 13. साइकिलिंग 14. घुडसवारी 15. फुटबॉल 16. गोल्फ 17. जिमनास्टिक (बॉडी बिल्डिंग सहित) 18. हैंडबॉल 19. हॉकी 20. जूडो 21. कबड्डी 22. कराटे 23. कैयकिंग एवं कैनोयिंग 24. खो–खो 25. पोलो 26. पावर लिफ्टिंग 27. राइफल शूटिंग 28. रोल्लर स्केटिंग 29. रोऑविंग 30. सॉफ्ट बॉल 31. स्क्वाश 32. तैराकी 33. टेबल टेनिस 34. तैकान्डो 35. टेन्निक्योट 36. टेनिस 37. वॉलीबॉल 38. भारोतोल्लन 39. कुश्ती 40. याचिंग
8	कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व	उनको उप रेंजर/वन दरोगा/प्रधान वन रक्षक के अधीन एक संलग्न कार्यपालक के रूप में कार्य करना होगा । अपने अधिकार क्षेत्र पर स्थित वन एवं वन्य प्राणी के रक्षण, संरक्षण एवं प्रबंधन से संबंधित कार्यो के लिए उत्तरदायी होगा। भारतीय (वन) अधिनियम 1927 तथा वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्रावधानों एवं इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों का प्रवर्तन करना। उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधानों एवं नियमों के अंतर्गत जब भी उनको "वन अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया जायेगा तब उनको "वन अधिकारी" के सभी कार्यो एवं कर्तव्यों का पालन करना होगा। उनको अपने उच्च अधिकारियों के द्वारा कहे/सौंपे गये किसी अन्य कार्यो को भी करना होगा, जब कभी भी ऐसा करने को कहा जायेगा।

संलग्न प्रपत्र में पूरी तरह से भरे हुए आवेदन जिसके साथ शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं, जन्मतिथि, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित प्रमाणपत्रों की अनुप्रमाणित प्रतियाँ एवं हाल के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ जिसे किसी राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित किया हो तथा साथ ही फोटोग्राफ की एक अतिरिक्त प्रति संलग्न किया हो, दिनांक 28/06/2013 तक या उससे पहले प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, वन सदन, हैडो में पहुँच जाना चाहिए।

(एस.एच.के.मूर्ती)
वन संरक्षक(मुख्यालय)
(एफ.20(ई.)/105)

Principal Chief Conservator of Forests, Andaman and Nicobar Islands, Vansadan, Haddo by closing date. No application received after the closing date will be accepted under any circumstances.

Note II: Departmental candidates should send their application through proper channel to the Principal Chief conservator of Forests Vansadan, Haddo and the application should reach by due date. Application received late or incomplete in any respect shall be rejected.

Note III: Candidates may note that they should not attach the original certificate in support of their education qualification, age, OBC and ST along with their application. These documents will be called for from the candidates at the time of interview.

प्रपत्र

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के पर्यावरण एवं वन विभाग में वन रक्षक के पद के लिए आवेदन

राजपत्रित अधिकारी से अनुप्रमाणित किया हुआ पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं।

(पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ की एक अतिरिक्त प्रति भी संलग्न करें।)

1.	नाम बड़े अक्षरों में (जैसा शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में लिखा हुआ है)				
2.	पिता / पति का नाम				
3.	लिंग (संबधित कॉलम में "√" निशान लगाएँ)		पुरुष	महिला	
4.	क) जन्मतिथि (जैसा शैक्षणिक प्रमाणपत्रों में लिखा हुआ है)		दिन	माह	वर्ष
	ख) दिनाँक 28.06.2013 को आयु (पूर्ण वर्ष एवं माह)		वर्ष	माह	
5.	वर्ग (संबधित कॉलम में "√" निशान लगाएँ)		सामान्य	अन्य पिछड़े वर्ग	अनुसूचित जनजाति
6.	क)शैक्षणिक योग्यताएँ		1.		
	ख)अन्य योग्यताएँ		2.		
7.	पूर्व अनुभव, यदि कुछ हो तो।				
8.	रोजगार कार्यालय के कार्ड की संख्या यदि है तो (कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति संलग्न करें)।				
9.	पत्राचार के लिए डाक पता	गांव / मोहल्ला			
		डाक घर			
		शहर			
		जिला			
		राज्य एवं पिन कोड			
10.	परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र भिजवाने के लिए डाक पता	गांव / मोहल्ला			
		डाक घर			
		शहर			
		जिला			
		राज्य एवं पिन कोड			

7. File No.F.20(E)/19

7. File No.F.20(E)/19

मै एतद्द्वारा यह घोषित करता हूँ कि मेरे ज्ञान एवं विश्वास से आवेदन में भरी गई समस्त विवरण सत्य, पूरा एवं सही है। मुझे यह भी पता है कि मेरे द्वारा दी गई किसी भी सूचना के गलत या असत्य होना या आयोग्यता का पता मेरे चयन से पहले या बाद में होता है तो ऐसी अवस्था में मेरी उम्मीदवारिता/नियुक्ति रद्द हो जायेगी।

मैंने पर्यावरण एवं वन विभाग के रोजगार सूचना में दिए गए प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मै एतद्द्वारा उनको मानने का वचन देता हूँ।

मै पुनः यह भी घोषित करता हूँ कि मैं परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रताओं की सभी शर्तो जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि को पूरा करता हूँ।

स्थानः
दिनाँकः

(आवेदक का हस्ताक्षर)
(उम्मीदवार के द्वारा हस्ताक्षर न किए गये आवेदन को स्वीकार नहीं किया जायेगा)

नोट I: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने आवेदन को अंतिम तिथि से बहुत पहले ही भेज दें ताकि आवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, वन सदन, हैडो में अंतिम तिथि तक पहुँच जाएं। किसी भी परिस्थिति में अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नही किया जाएगा।

नोट II: विभागीय उम्मीदवारो को उनके आवेदन उचित माध्यम से प्रधान मुख्य वन संरक्षक का कार्यालय, वन सदन, हैडो को भेजना होगा तथा आवेदन अंतिम तिथि के भीतर पहुँच जाना चाहिए। ऐसे आवेदन जो देर से प्राप्त होते है या किसी प्रकार से अधूरे है या पात्रता की शर्तो को पूरा नही करता हो, को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

नोट III: उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनको अपने शैक्षणिक योग्यता, आयु, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमाण को दर्शाने के लिए अपने मूल प्रमाणपत्रों को उनके आवेदन के साथ संलग्न नही करना चाहिए। उम्मीदवारों से साक्षात्कार के समय उनके मूल प्रमाणपत्रों को दर्शाने को कहा जाएगा।